

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

27 DEC 2025

जावक कं. 11562 / 2025

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

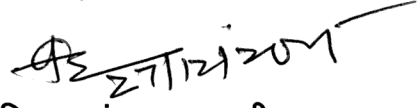
**समस्त न्यायाधीशगण
जिला न्यायालय उज्जैन एवं
तहसील न्यायालय बड़नगर/महिदपुर/नागदा/खाचरौद/तराना**

विषय - 31.12.2025 तक सीआईएस में अनडेटेड प्रकरण, डिले रीजन, अनअलोकेट केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस, जजमेंट ऑर्डर अपलोडेड कर अपडेट किये जाने बाबत।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आदेश अनुसार लेख है कि जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालयों के सर्वर में प्रतिवर्ष अनुसार दिनांक 31.12.2025 को Year End Initialization की command को Execute किया जाना है। समस्त न्यायालयों के अनडेटेड प्रकरण, डिले रीजन, अनअलोकेटेड केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस, जजमेंट ऑर्डर नॉट अपलोडेड को अपडेट किया जाना आवश्यक हैं।

अतः समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया जाता है कि अपने न्यायालय से संबंधित अनडेटेड प्रकरण, डिले रीजन, अनअलोकेटेड केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस, जजमेंट ऑर्डर नॉट अपलोडेड को दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति में अपडेट कर निल कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे Year End Initialization की command को Execute निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सकें।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन.